कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली।

पत्रॉक व0स0–प0/7571/2018–19 दिनांक 09.07.19

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

स्काई लार्क स्कूल(अंग्रेजी माध्यम)

प्रहलादपुर–भोजीपुरा बरेली।

विषयः– मान्यता प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन–पत्र दिनांक 4.2.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो खण्ड शिक्षा अधिकारी भोजीपुरा , बरेली की आख्या दिनांक 6.7.2019 के उपरान्त प्राप्त हुआ है। जिसके द्वारा इस कार्यालय के पत्रॉक व0स0–।।/47902–9/2014–15 दिनांक 31.3.2015 के द्वारा कक्षा नर्सरी से कक्षा–8 तक अग्रेंजी माध्यम की दिनांक 01.07.2014 से दिनांक 31.6.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रदत्त की गयी मान्यता को स्थायी करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध मे आपको अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18 /(20)/91 दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर मे निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है। "प्रथमतयः निर्धारित प्रारूप पर नियमावली मे उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी । इस अवधि मे मान्यता की शर्तो के उलंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि आपके विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी है। आपके ,द्वारा प्रस्तुत पत्र पर खण्ड शिक्षा अधिकारी भोजीपुरा की आख्या के अनुसार विगत तीन वर्षो मे कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही हुआ है। इस लिए शासनादेश मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार आपके विद्यालय की मान्यता जारी रहेगी। यदि आगामी वर्षो मे यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होता है तो आपके विद्यालय के विरूद्व अग्रिम कार्यवाही की जायेगी तथा शासन/विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(तनुजा त्रिपाठी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बरेली।

PRINCIPAL
SKYLARK SCHOOL
Vill - PRAHLADPUR
BHOJIPURA, BAREILLY

MANAGER
SKYLARK SCHOOL
Village- Prahaladpur Bhojipur
Bareilly.